न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फूलियाकलां जिला भीलवाडा

बईजलास – श्री ओमप्रकाश, आर.ए.एस.
प्रकरण सं0 :– 117 / 2024
दायर दिनांक :– 03.07.2024

अनवान

1. रामधन पिता लादूलाल गुर्जर नि. फुलियाकलां तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा।
2. महावीर पिता नाथू खटीक नि. फुलियाकलां तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा।
3. कमला पत्नि गोपाल गुर्जर नि. फुलियाकलां तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा।
4. भागचन्द पिता गोपाल गुर्जर नि. फुलियाकलां तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा।
5. कैलाश पिता गोपाल गुर्जर नि. फुलियाकलां तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा।
6. रूपाल पिता गोपाल गुर्जर नि. फुलियाकलां तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा।
7. काली पिता गोपाल गुर्जर नि. फुलियाकलां तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा।

..... प्रार्थीगण

बनाम

1. द्वारका पिता श्रीकिशन कुम्हार नि. फुलियाकलां तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा।
2. महादेव पिता श्रीकिशन कुम्हार नि. फुलियाकलां तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा।
3. कालू उर्फ राधेश्याम पिता लादू कुम्हार नि. फुलियाकलां तह. फूलियाकलां जिला भीलवाडा।
4. गोपाल पिता लादू कुम्हार नि. फुलियाकलां तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा।
5. महावीर पिता लादू कुम्हार नि. फुलियाकलां तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा।
6. रामेश्वर पिता लादू कुम्हार नि. फुलियाकलां तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा।
7. हरिकिशन पिता लादू कुम्हार नि. फुलियाकलां तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा।
8. शाखा प्रबंधक, बैंक आफ बडौदा शाखा फुलियाकलां तहसील फूलिया कलॉ
9. शाखा प्रबंधक, बैंक आफ बडौदा शाखा कनेछनकलां तहसील फूलिया कलॉ
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार फुलियाकलां जिला भीलवाडा

..... अप्रार्थीगण

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर. टी. एक्ट. ::

उपस्थित अभिभाषक
1. श्रीमति मदिना बानू, एडवोकेट प्रार्थीगण
2. श्री योगेश आगाल, एडवोकेट अप्रार्थी सं. 1 व 2

:: निर्णय :: दिनांक 11.09.2025

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए दिनांक 03.07.2024 को प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के अनुसार मौजा फुलियाकलां पटवार मण्डल फुलियाकलां तहसील फुलियाकलां स्थित खसरा संख्या 1779, 1780 प्रार्थीगण के शामलाती

उपखण्ड अधिकारी
फूलिया कलॉ, जिला–भीलवाडा

खाते में सहखातेदारी अधिकारों में दर्ज अभिलिखित है, एवं प्रार्थीगण की खातेदारी खसरे में आवागमन का कोई स्थाई चिन्हीकरण/रास्ता उपलब्ध नही होने से पडौसीयों से मिन्नत करके अपने खसरान तक पहुंचना पडता है। प्रार्थीगण वर्षो से अप्रार्थीगण के सहखातेदारी खसरान में से होकर आता जाता रहा है, परन्तु अब अप्रार्थीगण द्वारा रूकावट/बाधा उत्पन्न किये जाने से प्रार्थीगण ने विपक्षी संख्या 01 से 02 की आराजी संख्या 67, तथा विपक्षी संख्या 03 से 07 की आराजी संख्या 4153/57 तथा गे. मु. पाल आ.न. 93 में से नवीन रास्ता कायमी बाबत प्रकरण प्रस्तुत किया गया है। अंत में प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण स्वीकार कराया जाकर प्रार्थीगण के खातेदारी खसरे में पहुंच हेतु अप्रार्थीगण के हक स्वामित्व की खसरान संख्या 67, 4153/57, 93 में से 20 फिट नवीन रास्ता किस्म रास्ता दर्ज किये जाने की आज्ञा पारित कराये जाने की मांग की।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस, कारण दर्शित करने हेतु तलब किया गया। अप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामील प्राप्त हुए, जिन्हे शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी सं. 03 व 09 बावजुद सुचना के उपस्थित नहीं होने से अप्रार्थी सं. 03 व 09 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी सं. 1 से 2 की और से श्री योगेश आगाल एडवोकेट का अधिकार पत्र प्रस्तुत होकर जवाब प्रस्तुत किया गया। जिसकी नकल वकील प्रार्थीगण को दी जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

प्रार्थीगण की आराजी न. 1779, 1780 में पहुॅचने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता है या नही तथा वैकल्पिक रास्ता नही होने की स्थिति में मार्ग में आने वाली आराजी का रकबा एवं डी एल सी दर अनुसार जॉच कर तहसीलदार फूलियाकलां से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार फूलियाकलां ने जरिये पत्र दिनांक 28.08.2025 से रिपोर्ट भिजवाई, जिसे शामिल फाईल किया गया। तहसीलदार फूलियाकलां की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की जोत तक पहुंचने के लिये वैकल्पिक रास्ता नही है। तथा प्रार्थीगण की जोत तक आने जाने के लिये लघुत्तम रास्ता खसरा नं. 67 तथा बिलानाम गे मु पाल आ.न. 93 में से रास्ता देने पर 0.1248 हैक्टेयर भूमि प्रभावित होगी। तथा प्रार्थीगण की जोत तक आने जाने के लिये एक और लघुत्तम रास्ता खसरा नं. 1781, 1788, 1789 में से रास्ता देने पर 0.0696 हैक्टेयर भूमि प्रभावित होगी।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थीगण ने बताया कि प्रार्थीगण की जोत आ.न. 1779, 1780 में आने जाने हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। प्रार्थीगण को अपनी कृषि जोत के उपयोग हेतु रास्ते की आंत्यांतिक आवश्यकता है, क्योंकि उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण द्वारा रास्ता अवरूद्व कर रखा है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करा रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराना फरमावे। वकील अप्रार्थी सं. 2 ने बताया की उक्त रास्ता गे. मु. पाल से होकर प्रस्तावित किया गया है। जो गे. मु. पाल धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित क्षेत्र है। इसलिये प्रार्थना पत्र खारिज कराना फरमावे।

वकील उभयपक्षों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रकरण से संबधित विधिक प्रावधान निम्नानुसार है कि

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम 1955, के नियम 68 लगायत 70 के उद्धरण से स्पष्ट है कि खातेदारों के बीच मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो धारा 251–क के अन्तर्गत कोई खातेदार अपनी

उपखण्ड अधिकारी
फलिया कलाँ, जिला–भीलवाड़ा

1. खातेदार की रास्ते बाबत् अन्य रिकॉर्डेड रास्ते के विकल्प की अनुपस्थिति।
2. खातेदार की रास्ते बाबत् आत्यान्तिक आवश्यकता।
3. लघुत्तम दूरी का नवीन मार्ग के विकल्प का प्रस्ताव।

वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। तथा तहसीलदार फुलियाकलां की रिपोर्ट का भी अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण अपने आ.न. 1779, 1780 में आने जाने हेतु ख. न. 67 तथा बिलानाम आ.न. 93 में से रास्ता चाहते है। तहसीलदार फुलियाकलां की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण के आ.न. 1779, 1780 में आने जाने हेतु ग्राम तस्वारिया बांसा में स्थित आराजी नं. 67, 4153/57 में से रास्ते की मांग की है जो खातेदारी भूमि है जिससे लगायत आ.न. 93 रकबा 1.51 है. गे. मु. पाल बिलानाम है तथा इससे लगायत आ.न. 75 रकबा 0.48 है. गे. मु. बिलानाम रास्तास है। मौके पर आ.न. 75 पर रास्ता होकर खुलासा है तथा आ.न. 93 रेकार्ड में गे. मु. पाल होकर मौके पर खाली होकर आने जाने के काम मे आती है। तहसीलदार फुलियाकलां द्वारा अन्य वैकल्पिक प्रस्तावित लघुत्तमक रास्ता भी बताया है जो आ.न. 1781, 1788, 1789 से जाता है। लेकिन उक्त आराजी के खातेदारों को प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण में पार्टी नहीं बनाया गया है। तथा प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता आ.न. 93 जो कि गे. मु. पाल होकर प्रतिबन्धित की श्रेणी में आता है। जिससे प्रतिबन्धित श्रेणी में रास्ता नही दिया जा सकता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायोचित नही होने से स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर. टी. ए. अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 11 .09.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश)
उपखण्ड अधिकारी,
फूलियाकला (भीलवाड़ा)

उपखण्ड अधिकारी
फूलियाकला (भीलवाड़ा)